



**कुल सचिव कार्यालय**  
**प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,**  
**प्रयागराज**

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2022- 383  
दिनांक 25 जून, 2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,  
सम्बद्ध प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज, उ०प्र०।


विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2022 के सम्बन्ध में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय

  
(एस०के० शुक्ल) 25.6.22  
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को कुलपति जी को अवलोकित कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कुल सचिव कार्यालय।

  
(एस०के० शुक्ल) 25.6.22  
कुल सचिव।



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

## परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया – 2022

{विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में परास्नातक (एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी०) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु}

### प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (PRSU)


नैनी, प्रयागराज - 211010

Website: [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)

## संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) में प्रवेश हेतु सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दना। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपने 11 शैक्षणिक विभागों और 657 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 4.25 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित करते हुए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान कर रहा है।



अकादमिक शैक्षणिक उत्कृष्टता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभिन्न संकायों में स्नातक, परास्नातक और शोध के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक विभागों के माध्यम से कला, वाणिज्य व प्रबंधन के क्षेत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने जा रहा है।

प्रभावी एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालय एवं उनके समर्पित शिक्षकों द्वारा नवीनतम तकनीक एवं शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें अनुभवात्मक एवं सहभागी अधिगम तथा समस्या समाधान आदि पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। इस माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास के साथ-साथ युवा मन को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है।

विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग के माध्यम से पाठ्येत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के साथ-साथ प्लेसमेंट सम्बन्धी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

मैं प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में अधिगम के समृद्ध अनुभव एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व के विकास हेतु आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

डॉ० अखिलेश कुमार सिंह  
कुलपति

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या)  
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## विश्वविद्यालय एक दृष्टि में

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून, 2016 में की गयी थी। विश्वविद्यालय ने विगत छः वर्षों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शैक्षिक-कैलेण्डर के अनुसार सत्र-नियमन से लेकर सेमेस्टर प्रणाली, सी०बी०सी०एस० प्रणाली, मानक पाठ्यक्रम, न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, समयानुसार प्रवेश तथा परीक्षा को शुचिता पूर्ण सम्पन्न कराकर विश्वविद्यालय ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक नये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि परिसर में पठन-पाठन के साथ-साथ सम्बद्ध किये गये प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों (प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़) में स्थापित 657 महाविद्यालयों में ऑनलाइन सम्बद्धता, ऑनलाइन प्रवेश-पद्धति, ऑनलाइन शुल्क-भुगतान और पठन-पाठन के लिए उत्कृष्ट वातावरण का सृजन किया है। विश्वविद्यालय अपनी कार्यप्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगभग सभी कार्यों में तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण, प्रवेश पत्र, प्रतिलेख प्रमाण पत्र एवं उपाधि प्रमाण पत्र इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय चुनौती मूल्यांकन, स्कूटनी एवं आर०टी०आई० के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निस्तारण कर रहा है। विश्वविद्यालय डिजिटल लॉकर पर विद्यार्थियों की सत्र 2016 से 2021 तक की समस्त अंकतालिकाएं एवं उपाधियाँ अपलोड कर चुका है तथा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी डिजीलॉकर के माध्यम से प्रारम्भ कर चुका है। सत्र 2022 के समस्त अंकपत्र शीघ्र ही डिजीलॉकर पर उपलब्ध होंगे तथा दीक्षांत के उपरान्त उपाधियाँ भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में लगभग 4.25 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कला तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में 14 विषयों में सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पी-एच०डी० पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर चुका है। विश्वविद्यालय अनुसंधानपरक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय गत सत्र से सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट-ग्रेडिंग एवं सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 5 एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA, IPC, IPM) प्रारम्भ कर चुका है, जो पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे तथा जिसमें विद्यार्थी मात्र एक प्रवेश से स्नातक (BA, B.Com, BBA) के साथ-साथ परास्नातक (MA, M.Com, MBA) उपाधि भी प्राप्त कर सकेगा। इन एकीकृत पाठ्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की सुविधा होगी। अतः विद्यार्थी यदि एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन छोड़ देता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार दो वर्ष पश्चात् डिप्लोमा, तीन वर्ष पश्चात् स्नातक उपाधि, चार वर्ष में स्नातक (शोध) उपाधि तथा पाँच वर्ष पूर्ण करने पर परास्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय भविष्य में लगभग सभी विषयों में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)) का अवलोकन करें।

**प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज**  
(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

**परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया**

**(सत्र : 2022-2023)**

**महत्त्वपूर्ण तिथियाँ**

प्रवेश हेतु आवेदन एवं वेब पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	25-06-2022
आवेदन/ वेब पंजीकरण एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	20-07-2022
आवेदन पत्रों में आंशिक संशोधन की तिथि	अन्तिम तिथि के पश्चात एक सप्ताह

**खण्ड-क**

**(महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें)**

1. इस प्रवेश विवरणिका में वर्णित समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/ अशासकीय अनुदानित तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2022-2023 के लिए परास्नातक (एम०ए०, एम०कॉम० एवं एम०एस-सी०) प्रवेश से सम्बन्धित हैं।
2. सत्र 2022-2023 में प्रवेश प्रक्रिया समस्त महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर सम्पन्न करेंगे; किन्तु प्रवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में प्रवेश स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
4. समस्त महाविद्यालय प्रतिदिन प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध कराये गये **वेब पंजीकरण फॉर्म** के माध्यम से करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय ने उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं किया तो वे सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकार्य होंगे।
5. **वेब पंजीकरण फॉर्म प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि से कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध होगा तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म स्वतः बंद हो जायेगा।**
6. विश्वविद्यालय के वेब पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थियों का पंजीकरण महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही करना अनिवार्य है।
7. इस विवरणिका में वर्णित दिशानिर्देश समस्त महाविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं तथा सभी महाविद्यालय इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. समस्त महाविद्यालय इस विवरणिका पुस्तिका को अपनी-अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के सूचनार्थ अपलोड करेंगे।
9. यह सूचना पुस्तिका/विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है तथा समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिनियमों के अधीन हैं। इस विवरणिका में दी गयी समस्त सूचनाएं प्रामाणिक हैं तथा तत्पश्चात होने वाला कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

10. अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अर्ह हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण इस विवरणिका पर उपलब्ध है।
11. अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और उनकी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में सही हैं। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं एवं वेब पंजीकरण फॉर्म में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
12. वेब पंजीकरण फॉर्म के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रूपये 50/- पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा।
13. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में पत्र व्यवहार एवं सन्दर्भ हेतु वेब पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति/फ़ीस जमा करने का विवरण अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। महाविद्यालय विद्यार्थी को ये अभिलेख अवश्य उपलब्ध करायें।
14. महाविद्यालय इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सभी विद्यार्थियों का ई-मेल एवं मोबाइल न० पंजीकरण फॉर्म में सही अंकित हो; क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में विद्यार्थी से ई-पत्राचार किया जा सकता है।
15. किसी भी प्रकार के विषय पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय इस विवरणिका में दिए किसी भी बिन्दु में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी बिन्दु को निरस्त कर सकता है।
16. वेब पंजीकरण फॉर्म एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
  - a) सर्वप्रथम महाविद्यालय अपनी कॉलेज लॉगिन पर जाएँ।
  - b) मुख्य पृष्ठ पर **Web Registration Form 2022-2023** टैब में क्लिक करे, इसके पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
  - c) इस बात का ध्यान रहे कि वेब पंजीकरण फॉर्म भरते समय जब तक आप **Submit** टैब में क्लिक नहीं करते, आप वेब पंजीकरण फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं किन्तु एक बार वेब पंजीकरण फॉर्म सबमिट हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
  - d) पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य हैं; शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् ही पंजीकरण पूर्ण माना जायेगा।
  - e) सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात् आप वेब पंजीकरण फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। वेब पंजीकरण फॉर्म के प्रिंटआउट को सुरक्षित रखें। आप लॉगिन करके भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।
  - f) भविष्य में पत्राचार हेतु कृपया वेब पंजीकरण संख्या (WRN) एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर का प्रयोग अवश्य करें।
17. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही क्रेडिट ट्रांसफर हेतु ABC id उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थी ABC की वेबसाइट **www.abc.gov.in** में जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ABC id हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात् 12 अंकों की एक ABC id प्राप्त होगी; जिसका उल्लेख वेब पंजीकरण फॉर्म में करना होगा।
18. प्रत्येक विद्यार्थी का डिजीलॉकर में पंजीकरण आवश्यक होगा; क्योंकि ABC में पंजीकरण हेतु डिजीलॉकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

## खण्ड-ख

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रवेश/ पाठ्यक्रम संरचना/ परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के क्रम में प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक (एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी०) पाठ्यक्रम 'चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) की नवीन संरचना से आच्छादित होंगे। यह नवीन पाठ्यक्रम प्रणाली सत्र 2022-2023 तथा आगामी सत्रों के लिए लागू होगी।
2. **प्रवेश पद्धति :-**
  - a) विश्वविद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे।
  - b) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अनुमन्य सीटों एवं प्रवेश नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय/विषय में प्रवेश देंगे।
  - c) महाविद्यालय स्तर पर पात्रता एवं चरित्र प्रमाणन के आधार पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने और न देने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास होगा।
  - d) किसी भी संवर्ग (कैटेगरी) तथा भारांक (वेटेज) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
  - e) विद्यार्थी को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन प्रारम्भ करने तथा सेमेस्टर/ईयर बैक की दशा में नॉन रिफंडेबल होगा।
  - f) अध्ययन अन्तराल (Study Gap) की दशा में विद्यार्थी रू 10 के हलफनामा में इस विषय का शपथ पत्र देंगे कि इस अन्तराल में उनके द्वारा क्या कार्य किये गये हैं।
  - g) असत्य जानकारी देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. **परास्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु न्यूनतम अहर्ताएं निम्नवत हैं :-**

क्र०स०	पाठ्यक्रम/संकाय	न्यूनतम अहर्ताएं	
1.	एम०ए०/कला संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	इसके साथ ही धारा-9 में वर्णित पूर्व-पात्रता का अनुपालन भी करना होगा।
2.	एम०एस-सी०/ विज्ञान संकाय		
3.	एम०कॉम०/ वाणिज्य संकाय		

4. **मूल अभिलेख :** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल अभिलेख एवं उनकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।  
(महाविद्यालय इनके बिना अभ्यर्थी के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं करेंगे)

1. स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र	6. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
2. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	7. दो रंगीन छायाचित्र
3. इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	8. प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क
4. माइग्रेशन/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	9. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	10. आय प्रमाण पत्र

5. **छात्रवृत्ति :** महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

6. आरक्षण नीति एवं अधिभार प्रक्रिया :- उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा :

(क) अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत
(घ) आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु -	सम्पूर्ण अनुमन्य सीटों का 10% (सामान्य वर्ग से)

नोट : 1. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अन्तर्गत आरक्षण किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप - यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अन्तर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित की जाएंगी कि 01 सीट महिला (20% महिला आरक्षण) तथा 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर-अनुदानित) में प्रवेश के लिए 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी की गई है। विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में इसी 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली के आलोक में समस्त प्रवेश सम्पन्न किए जायेंगे।

#### क्षैतिज आरक्षण -

(क) शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	05 प्रतिशत
(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र/प्रपौत्री)	02 प्रतिशत
(ग) भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी अथवा उनके पाल्य	02 प्रतिशत
(घ) कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री)	01 प्रतिशत
(ङ) महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

नोट : आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के मूलनिवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

#### अधिभार -

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अधिभार प्रदान किया जायेगा :

(क) एन०सी०सी० "बी०" अथवा "सी०" प्रमाणपत्र धारक	2.5 प्रतिशत
(ख) उत्कृष्ट खिलाडी	05 प्रतिशत

नोट : अधिभार का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।

7. सी०बी०सी०एस० (CBCS) संरचना में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रमुखतः तीन श्रेणियों में विभाजित होंगे।

- प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य विषय (Core Course) होंगे। मुख्य विषयों के संचालन के लिए विषय/संकाय की सम्बद्धता की अनिवार्यता होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय होना अनिवार्य है।
- द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत विषय वैकल्पिक (Subject Elective) होंगे। जो मुख्यतः प्रायोगिक प्रकृति के होंगे तथा इनका मूल्यांकन 50% सैद्धान्तिक तथा 50% प्रायोगिक होगा।

c) तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य वैकल्पिक (**Generic Elective**) होंगे। जो मुख्यतः प्रायोगिक प्रकृति के होंगे तथा इनका मूल्यांकन 50% सैद्धान्तिक तथा 50% प्रायोगिक होगा। सामान्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र मात्र द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में होंगे।

d) चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत दीर्घ शोध परियोजना (**MRP**) को रखा गया है; जिसका प्रावधान मात्र चतुर्थ सेमेस्टर में होगा।

8. प्रवेश व्यवस्था :

a) सर्वप्रथम विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के वेब पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण होगा।

b) महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।

9. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला संकाय/ विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विषय:-

महाविद्यालयों में कला संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम			
	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ताएं एवं पूर्व पात्रता
1.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
2.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	60	
3.	दर्शनशास्त्र	60	
4.	राजनीति विज्ञान	60	
5.	अर्थशास्त्र	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित विषय सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
6.	हिन्दी साहित्य	60	
7.	संस्कृत	60	
8.	अंग्रेजी साहित्य	60	
9.	उर्दू	60	
10.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	60	
11.	समाजशास्त्र	60	
12.	शिक्षाशास्त्र	60	
13.	भूगोल	60	
14.	गृह विज्ञान	60	
15.	ड्रॉइंग एवं पेन्टिंग	60	

महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम			
	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ता
1.	एम०कॉम०	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०कॉम०, अर्थशास्त्र अथवा गणित में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा

**महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम**

	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ता एवं पूर्व पात्रता
1.	भौतिक विज्ञान	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
2.	गणित	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित विषय सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
3.	वनस्पति विज्ञान	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वनस्पति विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
4.	जन्तु विज्ञान	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जन्तु विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
5.	रसायन विज्ञान	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा
6.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा

**10. परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था-**

- (a.) सत्र 2022-23 से एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी० पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्वत सेमेस्टर पद्धति से होंगी।
- (b.) सभी विषयों (लिखित/प्रायोगिक/परियोजना आदि) के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- (c.) सभी विषयों/प्रश्नपत्रों (प्रायोगिक/दीर्घ शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटर्नशिप को छोड़कर) की परीक्षाएं 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन (ETE) (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी।

**सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों (Core Course) की परीक्षा प्रणाली :**

**सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation):**

- (a.) सैद्धान्तिक विषयों प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के दौरान सतत आन्तरिक मूल्यांकन तीन अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आन्तरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि एक घण्टे की होगी।
- (b.) सैद्धान्तिक विषयों में इन तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आन्तरिक मूल्यांकन लिखित/ सेमिनार/असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी।

**(c.) उदाहरणार्थ :**

सतत आन्तरिक मूल्यांकन					
Continuous Internal Evolution (CIE) (सतत आन्तरिक मूल्यांकन)	TEST – 1	TEST – 2	TEST – 3	Best of Any Two Test	TOTAL
	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(Test-1/Test-2 /Test-3)	(MM-25)
Paper-1	6.00	7.00	5.00	6.00 + 7.00	13.00
Paper-2	4.00	8.00	6.50	8.00 + 6.50	14.50

- (d.) दीर्घ शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटरशिप आदि में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा एवं इनकी परीक्षा सत्रान्त में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी।
- (e.) तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से दो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) में पाये गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- (f.) प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है अन्यथा उस प्रश्नपत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा अर्थात् विद्यार्थी को तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा नहीं तो वह बाह्य परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र में अनुपस्थित माना जाएगा।
- (g.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है।
- (h.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण एवं सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा।
- (i.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरान्त वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सम्बंधित संस्था द्वारा कम से कम छः महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है।
- (j.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन के संदर्भ में सम्बंधित शिक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।
- (k.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को सम्बंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- (l.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

### **सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों (Core Course) का बाह्य मूल्यांकन (End Term Evaluation):**

- (m.) बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) विश्वविद्यालय द्वारा सत्र (सेमेस्टर) के अंत में संपन्न कराई जाएगी।
- (n.) लिखित बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) 75 अंको की होगी।
- (o.) लिखित परीक्षा की कालावधि 2 घण्टे एवं शब्द सीमा अधिकतम 2000 की होगी।
- (p.) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाये जायेंगे। जिसमें अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्नपत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जायेंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा :-

प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	शब्द सीमा
अति लघुउत्तरीय प्रश्न	03	03 X 03 = 09	50 शब्द
लघुउत्तरीय प्रश्न	04	04 X 09 = 36	200 शब्द
दीर्घउत्तरीय प्रश्न	02	02 X 15 = 30	500 शब्द
<b>कुल योग</b>	<b>09</b>	<b>75</b>	<b>अधिकतम 2000</b>

### **प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन प्रणाली :**

- (a.) प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी 100 अंकों में होगा; जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार होंगे

- (b.) इन 100 अंकों में 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी जबकि 50 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा होगी।
- (c.) 50 अंकों के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र की परीक्षा एवं मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा सत्रान्त में सम्पन्न किया जाएगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप सैद्धान्तिक विषयों के प्रकार का ही होगा। प्रश्नपत्र का निर्माण एवं मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।
- (d.) 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा का सतत आन्तरिक मूल्यांकन प्रायोगिक-1, प्रायोगिक-2 एवं प्रायोगिक-3 के रूप में तीन अवसरों पर किया जायेगा। प्रत्येक आन्तरिक परीक्षा 25 अंको की होगी; जिनकी प्रकृति पूर्णतया प्रायोगिक होगी। सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित उपरोक्त धारा में वर्णित समस्त नियम लागू होंगे।
- (e.) मूल्यांकन के उपरान्त प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना होगा।

### दीर्घ शोध परियोजना की परीक्षा प्रणाली :

- (a.) चतुर्थ सेमेस्टर में दीर्घ शोध परियोजना (MRP) का प्रश्न पत्र होगा जिसका मूल्यांकन सत्रान्त में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।
- (b.) दीर्घ शोध परियोजना हेतु विद्यार्थियों को विषय आवंटन द्वितीय सेमेस्टर में ही किया जायेगा तथा प्रत्येक विद्यार्थी को एक शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा; जिसकी सहायता से वह शोध परियोजना पूर्ण का सकेगा तथा इसका मूल्यांकन चतुर्थ सेमेस्टर में ही होगा।

### प्रोन्नति :

- (a.) विद्यार्थी कुल 60 प्रतिशत क्रेडिट तथा SGPA-4 (Grade-P) अर्जित करने के पश्चात ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60 प्रतिशत से कम क्रेडिट प्राप्तियों की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा।

### बैक पेपर :

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में पुनः देने की स्थिति में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जा सकता है।
- विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर/वर्ष के पेपर्स के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स/वर्ष में ही उपलब्ध होगी।
- किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष/अन्तिम दो सेमेस्टर्स की बैक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार एक विशिष्ट बैक परीक्षा का आयोजन कर सकता है जिससे सम्बन्धित सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम उसी सत्र में पूर्ण किया जा सके।

### क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली :-

- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। सैद्धान्तिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा।
- मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न पत्र 4/5/6 क्रेडिट के हो सकते हैं, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 क्रेडिट के होंगे। सह-पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजना में कोई क्रेडिट नहीं होगा।

- सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों में 6 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 90 घण्टे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घण्टे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घण्टे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घण्टे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घण्टे की होगी। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में 2 क्रेडिट के प्रश्नपत्र की कक्षाएँ न्यूनतम 60 घण्टे की होगी।

सत्र	प्रश्नपत्र (क्रेडिट)	अध्यापन की न्यूनतम अवधि	
		सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	प्रायोगिक पाठ्यक्रम
वार्षिक/सेमेस्टर	5 क्रेडिट	75 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	4 क्रेडिट	60 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	3 क्रेडिट	45 घण्टे	90 घण्टे

- समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	10	Outstanding	91-100
A <sup>+</sup>	9	Excellent	81-90
A	8	Very good	71-80
B <sup>+</sup>	7	Good	61-70
B	6	Above Average	51-60
C	5	Average	41-50
P	4	Pass	33-40
F	0	Fail	0-32
AB	0	Absent	Absent
Q	-	Qualified	-
NQ	-	Not Qualified	-

- Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- परास्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी उत्तीर्णता प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सेमेस्टर 02 अंकों के कृपांक (Grace Marks) का प्रावधान किया जा सकता है।
- कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी किसी भी प्रकार का पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी :

$SGPA (S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर : C <sub>i</sub> = the number of credits of the i <sup>th</sup> course in a semester G <sub>i</sub> = the grade point scored by the student in the i <sup>th</sup> course.
$CGPA = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$	S <sub>i</sub> = S <sub>i</sub> is the SGPA of the i <sup>th</sup> semester C <sub>i</sub> = the total number of credits in the i <sup>th</sup> semester.

- CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = \text{CGPA} \times 10$$

- विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

- विद्यार्थी उपस्थिति :

- स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रश्न पत्र के क्रम में निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रश्न पत्र के कुल निर्धारित व्याख्यानों/प्रायोगिक सेशन के सापेक्ष विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- परीक्षा आवेदन पत्रों के अग्रसारण/सत्यापन के समय महाविद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति उपस्थित होगी।

- परीक्षा शुल्क :

- NEP-2020 के प्राविधानों से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।
- यदि विद्यार्थी किसी प्रश्नपत्र में बैक होता है तो वह सम्बन्धित सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके बैक परीक्षा में भाग ले सकता है।
- यदि किसी विद्यार्थी का सेमेस्टर बैक होता है तो विद्यार्थी को पुनः सम्बन्धित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा; उसके लिए विद्यार्थी को पुनः शुल्क भी जमा करना होगा।

- अन्य :

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से यू.जी.सी./शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन (NPTL, SWAYAM, MOOCS) कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर इलेक्टिव विषयों (Subject Elective) पर ही लागू होगी।

- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- उपरोक्त समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
- उपरोक्त दिशानिर्देश के किसी बिन्दु पर संशय/विभ्रान्ति एवं विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

**50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

**60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 69- अनुसूचित जाति
- 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 72- अनारक्षित
- 73- अनुसूचित जाति
- 74- अनारक्षित
- 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 76- अनारक्षित
- 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 78- अनारक्षित
- 79- अनुसूचित जाति
- 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 82- अनारक्षित
- 83- अनुसूचित जाति
- 84- अनारक्षित
- 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 86- अनारक्षित
- 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 88- अनारक्षित
- 89- अनुसूचित जाति
- 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 92- अनारक्षित
- 93- अनुसूचित जाति
- 94- अनारक्षित
- 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 96- अनारक्षित
- 97- अनुसूचित जनजाति

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 98- अनारक्षित  
 99- अनुसूचित जाति  
 100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

**मुकुल सिंहल**  
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

**अरविन्द मोहन चित्रांशी**  
 विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



**कुल सचिव कार्यालय**  
**प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,**  
**प्रयागराज**

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2022- 324  
दिनांक 25 जून, 2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,  
सम्बद्ध प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2022 के सम्बन्ध में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

  
(एस0के0 शुक्ल) 25.6.22  
कुल सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को कुलपति जी को अवलोकित कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कुल सचिव कार्यालय।

  
(एस0के0 शुक्ल) 25.6.22  
कुल सचिव।



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

## स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया – 2022

{विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक (बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु}

### प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (PRSU)

नैनी, प्रयागराज - 211010

Website: [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)

## संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) में प्रवेश हेतु सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दना। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपने 11 शैक्षणिक विभागों और 657 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 4.25 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित करते हुए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान कर रहा है।



अकादमिक शैक्षणिक उत्कृष्टता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभिन्न संकायों में स्नातक, परास्नातक और शोध के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक विभागों के माध्यम से कला, वाणिज्य व प्रबंधन के क्षेत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने जा रहा है।

प्रभावी एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालय एवं उनके समर्पित शिक्षकों द्वारा नवीनतम तकनीक एवं शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें अनुभवात्मक एवं सहभागी अधिगम तथा समस्या समाधान आदि पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। इस माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास के साथ-साथ युवा मन को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है।

विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग के माध्यम से पाठ्येत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के साथ-साथ प्लेसमेंट सम्बन्धी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

मैं प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में अधिगम के समृद्ध अनुभव एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व के विकास हेतु आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

डॉ० अखिलेश कुमार सिंह  
कुलपति

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या)  
विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

## विश्वविद्यालय एक दृष्टि में

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून, 2016 में की गयी थी। विश्वविद्यालय ने विगत छः वर्षों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शैक्षिक-कैलेण्डर के अनुसार सत्र-नियमन से लेकर सेमेस्टर प्रणाली, सी०बी०सी०एस० प्रणाली, मानक पाठ्यक्रम, न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, समयानुसार प्रवेश तथा परीक्षा को शुचिता पूर्ण सम्पन्न कराकर विश्वविद्यालय ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक नये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि परिसर में पठन-पाठन के साथ-साथ सम्बद्ध किये गये प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों (प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़) में स्थापित 657 महाविद्यालयों में ऑनलाइन सम्बद्धता, ऑनलाइन प्रवेश-पद्धति, ऑनलाइन शुल्क-भुगतान और पठन-पाठन के लिए उत्कृष्ट वातावरण का सृजन किया है। विश्वविद्यालय अपनी कार्यप्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगभग सभी कार्यों में तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण, प्रवेश पत्र, प्रतिलेख प्रमाण पत्र एवं उपाधि प्रमाण पत्र इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय चुनौती मूल्यांकन, स्क्रूटनी एवं आर०टी०आई० के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निस्तारण कर रहा है। विश्वविद्यालय डिजिटल लॉकर पर विद्यार्थियों की सत्र 2016 से 2021 तक की समस्त अंकतालिकाएं एवं उपाधियाँ अपलोड कर चुका है तथा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी डिजीलॉकर के माध्यम से प्रारम्भ कर चुका है। सत्र 2022 के समस्त अंकपत्र शीघ्र ही डिजीलॉकर पर उपलब्ध होंगे तथा दीक्षांत के उपरान्त उपाधियाँ भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में लगभग 4.25 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कला तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में 14 विषयों में सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पी-एच०डी० पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर चुका है। विश्वविद्यालय अनुसंधानपरक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय गत सत्र से सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट-ग्रेडिंग एवं सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 5 एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA, IPC, IPM) प्रारम्भ कर चुका है, जो पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे तथा जिसमें विद्यार्थी मात्र एक प्रवेश से स्नातक (BA, B.Com, BBA) के साथ-साथ परास्नातक (MA, M.Com, MBA) उपाधि भी प्राप्त कर सकेगा। इन एकीकृत पाठ्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की सुविधा होगी। अतः विद्यार्थी यदि एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन छोड़ देता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार दो वर्ष पश्चात् डिप्लोमा, तीन वर्ष पश्चात् स्नातक उपाधि, चार वर्ष में स्नातक (शोध) उपाधि तथा पाँच वर्ष पूर्ण करने पर परास्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय भविष्य में लगभग सभी विषयों में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)) का अवलोकन करें।

# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

स्नातक प्रवेश प्रक्रिया

(सत्र : 2022-2023)

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

स्नातक प्रवेश हेतु आवेदन तथा वेब पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	25-06-2022
स्नातक प्रवेश हेतु आवेदन तथा वेब पंजीकरण एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	20-07-2022
पंजीकृत आवेदन पत्रों में आंशिक संशोधन की तिथि	अन्तिम तिथि के पश्चात एक सप्ताह

## खण्ड-क

### (महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें)

1. इस प्रवेश विवरणिका में वर्णित समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध समस्त राजकीय/ अशासकीय अनुदानित तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2022-2023 के लिए स्नातक (बी०ए०, बी०कॉम० एवं बी०एस-सी०) प्रवेश से सम्बन्धित हैं।
2. सत्र 2022-2023 में प्रवेश प्रक्रिया समस्त महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर सम्पन्न करेंगे; किन्तु प्रवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में प्रवेश स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
4. समस्त महाविद्यालय प्रतिदिन प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध कराये गये वेब पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय ने उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं किया तो वे सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकार्य होंगे।
5. वेब पंजीकरण फॉर्म प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि से कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध होगा तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म स्वतः बंद हो जायेगा।
6. विश्वविद्यालय के वेब पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थियों का पंजीकरण महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही करना अनिवार्य है।
7. इस विवरणिका में वर्णित दिशानिर्देश समस्त महाविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं तथा सभी महाविद्यालय इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. समस्त महाविद्यालय इस विवरणिका पुस्तिका को अपनी-अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के सूचनार्थ अपलोड करेंगे।
9. यह सूचना पुस्तिका/विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है तथा समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिनियमों के अधीन हैं। इस विवरणिका में दी गयी समस्त सूचनाएं प्रामाणिक हैं तथा तत्पश्चात होने वाला कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

10. अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अर्ह हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण इस विवरणिका पर उपलब्ध है।
11. अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और उनकी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में सही हैं। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं एवं वेब पंजीकरण फॉर्म में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
12. वेब पंजीकरण फॉर्म के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रूपये 50/- पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा।
13. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में पत्र व्यवहार एवं सन्दर्भ हेतु वेब पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति/फ़ीस जमा करने का विवरण अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। महाविद्यालय विद्यार्थी को ये अभिलेख अवश्य उपलब्ध करायें।
14. महाविद्यालय इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सभी विद्यार्थियों का ई-मेल एवं मोबाइल न० पंजीकरण फॉर्म में सही अंकित हो; क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में विद्यार्थी से ई-पत्राचार किया जा सकता है।
15. किसी भी प्रकार के विषय पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय इस विवरणिका में दिए किसी भी बिन्दु में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी बिन्दु को निरस्त कर सकता है।
16. वेब पंजीकरण फॉर्म एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
  - a) सर्वप्रथम महाविद्यालय अपनी कॉलेज लॉगिन पर जाएँ।
  - b) मुख्य पृष्ठ पर **Web Registration Form 2022-2023** टैब में क्लिक करे, इसके पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
  - c) इस बात का ध्यान रहे कि वेब पंजीकरण फॉर्म भरते समय जब तक आप **Submit** टैब में क्लिक नहीं करते, आप वेब पंजीकरण फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं किन्तु एक बार वेब पंजीकरण फॉर्म सबमिट हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
  - d) पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य हैं; शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् ही पंजीकरण पूर्ण माना जायेगा।
  - e) सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात् आप वेब पंजीकरण फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। वेब पंजीकरण फॉर्म के प्रिंटआउट को सुरक्षित रखें। आप लॉगिन करके भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।
  - f) भविष्य में पत्राचार हेतु कृपया वेब पंजीकरण संख्या (WRN) एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर का प्रयोग अवश्य करें।
17. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही क्रेडिट ट्रांसफर हेतु ABC id उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थी ABC की वेबसाइट **www.abc.gov.in** में जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ABC id हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात् 12 अंकों की एक ABC id प्राप्त होगी; जिसका उल्लेख वेब पंजीकरण फॉर्म में करना होगा।
18. प्रत्येक विद्यार्थी का डिजीलॉकर में पंजीकरण आवश्यक होगा; क्योंकि ABC में पंजीकरण हेतु डिजीलॉकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

## खण्ड-ख

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रवेश/ पाठ्यक्रम संरचना/ परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के क्रम में प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक (बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०) पाठ्यक्रम 'चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) तथा सतत आन्तरिक मूल्यांकन की नवीन संरचना से आच्छादित होंगे। यह नवीन पाठ्यक्रम प्रणाली सत्र 2021-2022, एवं 2022-2023 तथा आगामी सत्रों के लिए लागू होगी।
2. स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र 2022-2023 से सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होंगे। इसके साथ ही सत्र 2021-2022 में प्रवेशित विद्यार्थी भी वर्तमान सत्र से सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित होंगे अर्थात् सत्र 2022-2023 में इनका प्रवेश तृतीय सेमेस्टर में होगा तथा इस विवरणिका में उल्लिखित समस्त दिशानिर्देशों से आच्छादित होंगे।
3. **प्रवेश पद्धति :-**
  1. विश्वविद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे।
  2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अनुमन्य सीटों एवं प्रवेश नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय/विषय में प्रवेश देंगे।
  3. महाविद्यालय स्तर पर पात्रता एवं चरित्र प्रमाणन के आधार पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने और न देने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास होगा।
  4. किसी भी संवर्ग (कैटेगरी) तथा भारांक (वेटेज) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
  5. विद्यार्थी को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन प्रारम्भ करने तथा सेमेस्टर/ईयर बैंक की दशा में नॉन रिफंडेबल होगा।
  6. अध्ययन अन्तराल (Study Gap) की दशा में विद्यार्थी रू 10 के हलफनामा में इस विषय का शपथ पत्र देंगे कि इस अन्तराल में उनके द्वारा क्या कार्य किये गये हैं।
  7. असत्य जानकारी देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. **स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु न्यूनतम अहर्ताएं निम्नवत हैं :-**

क्र०स०	पाठ्यक्रम/संकाय	न्यूनतम अहर्ताएं	
1.	बी०ए०/कला संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण।	इसके साथ ही धारा-10 में वर्णित पूर्व-पात्रता का अनुपालन भी करना होगा।
2.	बी०एस-सी०/ विज्ञान संकाय		
3.	बी०कॉम०/ वाणिज्य संकाय		

5. **मूल अभिलेख :** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल अभिलेख एवं उनकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।  
(विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इनके बिना अभ्यर्थी के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं करेंगे)

1. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	5. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
2. इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	6. दो रंगीन छायाचित्र
3. माइग्रेसन/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	7. प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	8. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

6. **छात्रवृत्ति :** विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

7. आरक्षण नीति एवं अधिभार प्रक्रिया :- उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा :

(क) अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अहं नहीं हैं)	27 प्रतिशत
(घ) आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु –	सम्पूर्ण अनुमन्य सीटों का 10% (सामान्य वर्ग से)

नोट : 1. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अन्तर्गत आरक्षण किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप – यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अन्तर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित की जाएंगी कि 01 सीट महिला (20% महिला आरक्षण) तथा 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर-अनुदानित) में प्रवेश के लिए 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी की गई है। विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में इसी 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली के आलोक में समस्त प्रवेश सम्पन्न किए जायेंगे।

### क्षैतिज आरक्षण -

(क) शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	05 प्रतिशत
(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र/प्रपौत्री)	02 प्रतिशत
(ग) भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी अथवा उनके पाल्य	02 प्रतिशत
(घ) कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री)	01 प्रतिशत
(ङ) महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

नोट : आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के मूलनिवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

### अधिभार -

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अधिभार प्रदान किया जायेगा :

(क) एन०सी०सी० "बी०" अथवा "सी०" प्रमाणपत्र धारक	2.5 प्रतिशत
(ख) उत्कृष्ट खिलाडी	05 प्रतिशत

नोट : अधिभार का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।

8. सी०बी०सी०एस० (CBCS) संरचना में स्नातक पाठ्यक्रम प्रमुखतः दो श्रेणियों में विभाजित होंगे।

- प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत मेजर विषय (Major Subject) होंगे। विश्वविद्यालय के परिनियम तथा प्रस्तुत प्रवेश दिशानिर्देशिका की धारा-11 में सूचीबद्ध विषय ही मेजर विषय हो सकते हैं। मेजर विषयों के संचालन के लिए विषय/संकाय की सम्बद्धता की अनिवार्यता होगी।
- द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत माइनर विषय (Minor Subjects) होंगे जिन्हें अग्रेतर माइनर-इलेक्टिव (Subject Elective), वोकेशनल (Vocational Course) तथा अनिवार्य को-कुरिकुलर (Co-curriculers) विषयों के रूप में जाना जायेगा। स्नातक स्तर पर माइनर विषयों के

सन्दर्भ में सम्बद्धता की अनिवार्यता नहीं होगी; किन्तु इनके अध्यापन के लिए योग्यताधारी विशेषज्ञों को अनुबन्धित करना अनिवार्य होगा। इसी श्रेणी में स्नातक तृतीय वर्ष में शोध आधारित प्रोजेक्ट को रखा गया है, जिसके लिए सम्बद्धता की अनिवार्यता नहीं होगी।

#### 9. प्रवेश व्यवस्था :

- a) सर्वप्रथम विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के **वेब पंजीकरण फॉर्म** के माध्यम से पंजीकरण होगा।
- b) विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा।
- c) महाविद्यालय धारा-11(f) के अन्तर्गत उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।
- d) विद्यार्थी **तीन मुख्य विषयों** का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।
- e) इसके साथ ही विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों हेतु चौथे विषय के रूप में प्रतिवर्ष (सम अथवा विषम सेमेस्टर में) एक **अनिवार्य माइनर विषय/पेपर** (Subject Elective) किसी अन्य विभाग अथवा अन्य संकाय से लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा धारा-11 में वर्णित मेजर विषयों से ही माइनर विषय (Subject Elective) को आर्वाटित करना होगा।
- f) प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष में **दो सह-पाठ्यक्रम** (Co-curricular) विषय अथवा प्रति सेमेस्टर एक सह-पाठ्यक्रम लेना होगा।
- g) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष में **दो रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** (Vocational Course) अथवा प्रति सेमेस्टर एक पाठ्यक्रम लेना अनिवार्य होगा।

#### 10. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संकाय/विषय चयन की पूर्व-पात्रता :

- a) विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला तथा कृषि संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा; किन्तु यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश पाने का पात्र होगा।
- b) कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा; किन्तु यदि विद्यार्थी ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अन्तर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है अथवा हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश पाने का पात्र होगा।
- c) वाणिज्य विषय से इंटरमीडिएट करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर वाणिज्य तथा कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- d) कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा; किन्तु यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश पाने का पात्र होगा।
- e) व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के लिए पात्र होंगे; किन्तु यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश पाने का पात्र होगा।

11. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला संकाय/ विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विषय-संयोजन :

- a) विश्वविद्यालय स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

1.	हिन्दी साहित्य	2.	हिन्दी भाषा	3.	गृह विज्ञान
4.	संस्कृत	5.	उर्दू	6.	संगीत तबला
7.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	8.	राजनीति विज्ञान	9.	संगीत वोकल
10.	दर्शनशास्त्र	11.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	12.	समाज कार्य
13.	अर्थशास्त्र	14.	समाजशास्त्र	15.	शारीरिक शिक्षा
16.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	17.	शिक्षाशास्त्र	18.	संगीत सितार
19.	अंग्रेजी साहित्य	20.	भूगोल	21.	ड्रॉइंग एवं पेन्टिंग
22.	अंग्रेजी भाषा	23.	मनोविज्ञान	24.	गणित

- b) **कला संकाय में विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :**

1. दो से अधिक भाषा विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
2. दो से अधिक प्रायोगिक विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
3. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व तथा मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
4. समाजशास्त्र एवं समाजकार्य एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
5. मनोविज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
6. गृहविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

- c) विश्वविद्यालय स्तर पर **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषयों को तीन समूहों ( **Group-A, Group-B, Group-C** ) में विभक्त करते हुए निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

Group-A	Group-B	Group-C
1. Physics	1. Chemistry	1. Botany
2. Mathematics	2. Computer Application	2. Zoology
	3. Economics	
	4. Physical Education	
	5. Defence & Strategic Studies	

- d) **विज्ञान संकाय विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :**

- i) Pre-requisite की दशा में विद्यार्थी को Group-A अथवा Group-C से 2 विषय तथा Group-B से एक विषय का चयन करना होगा।
- ii) Group-A से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Physics और Mathematics के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- iii) Group-C से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Biology के साथ उत्तीर्ण किया हो।

- iv) Group-B के विषयों में से Chemistry का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry का अध्ययन किया हो।
- e) वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत तीन मेजर विषयों का चयन बी०कॉम० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार करना होगा
- f) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता :

- i) शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक इकाई के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषयों में प्रति विषय 60 सीटों के गुणक में अनुमन्य कुल सीटों की गणना निम्नांकित प्रकार से की जाएगी :

**{पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें = संकाय में सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषय X 60}**

उदाहरणार्थ : यदि किसी महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु 07 विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी०ए० पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल  $07 \times 60 = 420$  सीटें अनुमन्य होंगी।

- ii) किसी पाठ्यक्रम के लिए आगणित कुल सीटें सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक इकाई (यूनिट) की प्रवेश क्षमता (उपरोक्त उदाहरण में 420) को प्रदर्शित करेंगी; तदक्रम में, प्रत्येक विषय के एक अनुभाग/सेक्शन में 60 सीट होंगी।
- iii) कला संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 07 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रति इकाई 420 सीटों की सम्बद्धता की स्थिति में विभिन्न विषय संयोजनों के साथ किसी एक विषय में प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों की संख्या अधिकतम 180 होगी।

उदाहरणार्थ के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G हैं तो विषय संयोजन इस प्रकार होगा :-			
1.	A,B,C	5.	E,F,G
2.	B,C,D	6.	F,G,A
3.	C,D,E	7.	G,A,B
4.	D,E,F		

परन्तु किसी एक विषय में शिक्षकों की संख्या 01 से अधिक होने पर विभिन्न विषयों के संयोजनों के साथ उस विषय में अग्रेतर सीटें शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष 60 के गुणक में निर्धारित होंगी; अर्थात् यदि एक विषय में 3 अनुमोदित शिक्षक हैं, तो उस विषय में अधिकतम  $180 + (02 \times 60) = 300$  सीटें हो सकती हैं। किन्तु किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम के लिए अनुमन्य मूल सीटों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

- iv) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 5 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रवेश के लिए प्रति सेक्शन 60 सीट (2 सेक्शन गणित ग्रुप, 2 सेक्शन जीवविज्ञान ग्रुप ) अधिकतम 240 सीटें उपलब्ध होंगी तथा एक विषय पुंज हेतु अधिकतम 120 सीट अनुमन्य होंगी।

(a) विज्ञान विषयों में विषय संयोजनों (Subject Combinations) के साथ किसी भी दशा में मात्र दो ही विषय पुंज (Mathematics तथा Biological/Life Science) निर्मित होते हैं। अतः प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें दोनों विषय पुंज में बराबर से विभाजित करते हुए विद्यार्थियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रवेश दिया जायेगा कि दोनों विषय पुंज के किसी उभयनिष्ठ (Common) विषय में विद्यार्थियों की संख्या अनुमन्य कुल सीटों की संख्या से अधिक न हो।

(b) प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों के 02 विषय-पुंज में बराबर विभक्त किये जाने पर प्रत्येक विषय पुंज के लिए उपलब्ध सीटों पर उसी विषय पुंज को चयनित करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- v) विभिन्न विषयों में संयोजनों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की संख्या का कुल योग किसी भी दशा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुमन्य कुल सीटों की संख्या को अतिक्रमित नहीं किया जायेगा।

- vi) राजकीय/ अनुदानित महाविद्यालयों के क्रम में स्नातक स्तर पर पूर्व में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश अनुमन्य होंगे।
- vii) शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के क्रम में आवेदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा विषयवार सीटों की संख्या में एक सत्र के लिए 60 से 80 की अभिवृद्धि की जा सकती है।
- viii) माइनर विषयों (Subject Elective) के सन्दर्भ में उपलब्ध सीटों की गणना के लिए धारा-11f(i) की व्यवस्था बाध्यकारी नहीं होगी।
- ix) बी०कॉम० की सम्बद्धता के सापेक्ष पाठ्यक्रम में दो सेक्शन के लिए प्रवेश हेतु सीटों की अनुमन्य संख्या 120 होगी।
- x) संसाधनों की उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक या अधिक इकाई अथवा विषयवार अतिरिक्त अनुभाग/सेक्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

## 12. माइनर-इलेक्टिव विषय (Subject Elective) का चयन-

- i) माइनर/इलेक्टिव विषय (Subject Elective) किसी भी सम्बद्धता प्राप्त मुख्य विषय (Mejor Subject) का एक प्रश्न पत्र होगा।
- ii) बहुविषयता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर/इलेक्टिव (Subject Elective) प्रश्न पत्र छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी पूर्व पात्रता की आवश्यकता होगी।
- iii) विद्यार्थी को स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव विषय (प्रतिवर्ष एक माइनर/प्रश्न पत्र) लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के प्रश्न पत्र को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव/प्रश्न पत्र की व्यवस्था नहीं है।
- iv) विद्यार्थी अपनी सुविधा से अपने समकक्ष सत्र में उपलब्ध प्रश्नपत्रों में से कोई एक माइनर/ इलेक्टिव प्रश्न पत्र के रूप में चुनाव कर सकता है; किन्तु विद्यार्थी किसी प्रायोगिक प्रश्न पत्र को माइनर के रूप में चयनित नहीं कर सकता। इसके साथ ही विद्यार्थी ने जिस विषय में मेजर प्रश्न पत्र चयनित किये हैं, उस विषय से माइनर चयनित नहीं कर सकता।
- v) माइनर इलेक्टिव प्रश्न पत्र का चुनाव संस्थान में संचालित मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों में से किया जायेगा। चयनित माइनर प्रश्न पत्र की कक्षाओं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी। अर्थात् जिस सेमेस्टर में विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उसी सेमेस्टर में संचालित पाठ्यक्रमों से ही माइनर चयनित करना होगा।
- vi) विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र की परीक्षा छोड़ देता है या उसमें फेल हो जाता है तो वह अगले द्वितीय सेमेस्टर में पुनः अन्य माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र लेकर परीक्षा दे सकता है; यही प्रक्रिया तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए भी लागू होगी; किन्तु यदि विद्यार्थी माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह अगले सेमेस्टर में पुनः माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र का चयन नहीं कर सकता है।
- vii) विद्यार्थी 4/5/6 क्रेडिट के माइनर इलेक्टिव विषय/प्रश्न पत्र का चयन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे SWAYAM, NPTEL, MOOCs) से भी कर सकता है। इस स्थिति में उसे सम्बन्धित संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा प्रमाणपत्र/अंकपत्र की छायाप्रति महाविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी; जिससे उसका क्रेडिट स्थानान्तरण किया जा सके। क्रेडिट स्थानान्तरण न हो पाने की स्थिति में विद्यार्थी अनुपस्थित माना जायेगा।

viii) इन ऑनलाइन पोर्टल पाठ्यक्रम उपलब्ध समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं उनकी परीक्षा की सूचना विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना समन्वयक की प्राथमिकता में होगा।

ix) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय उपरोक्त से सम्बन्धित व्यवस्था की निगरानी एवं समन्वय के लिए किसी सक्षम शिक्षक को "ऑनलाइन पाठ्यक्रम समन्वयक" नियुक्त करेंगे। समन्वयक प्रत्येक सेमेस्टर में ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएँगे तथा ऐसे विद्यार्थियों का एक डाटाबेस महाविद्यालय में भी संरक्षित रखेंगे।

### 13. स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular Courses):

- स्नातक के विद्यार्थी को प्रति सेमेस्टर के क्रम में निर्धारित सहगामी पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्यतः करना होगा।
- स्नातक स्तर के सहगामी पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालयों द्वारा स्वयं की जाएगी।
- अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर के अनुक्रम में वितरण निम्नवत है :-

अनिवार्य सहपाठ्यक्रम-				
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	1.	भोजन पोषण एवं स्वच्छता
		द्वितीय सेमेस्टर	2.	प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
2.	द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	3.	मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन
		चतुर्थ सेमेस्टर	4.	शारीरिक शिक्षा और योग
3.	तृतीय वर्ष	पंचम् सेमेस्टर	5.	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता
		षष्ठम् सेमेस्टर	6.	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

### 14. स्नातक स्तर पर कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Courses):

- कौशल-विकास/रोजगार परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालय के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है
- कौशल विकास/रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटिक्निक्, आई०टी०आई०, अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं। अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।
- शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित करें, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।
- चूँकि कौशल विकास(skill development)/वोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यक संसाधन के आकलन के उपरान्त कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-Profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें।

- e) कौशल-विकास/रोजगारपरक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे तथा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री (Study/Training Materials) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।
- f) विश्वविद्यालय परिसर के विभाग तथा महाविद्यालय वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने यहाँ संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सत्रवार सूची तथा पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्यतः प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
- g) संचालन की दृष्टि से वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम दो प्रकार के होंगे –
- Regressive Nature - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले Individual nature के पाठ्यक्रम।
  - Progressive Nature – एक ही पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता अग्रिम सेमेस्टर में क्रमशः बढ़ती जाएगी।
- h) वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन, परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विभाग अपने स्तर से करेंगे।
- विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन सत्रान्त में 60 अंकों में किया जायेगा।
  - 40 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा भी सत्रान्त में सम्पन्न होगी।
  - वोकेशनल पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए 100 अंकों के सापेक्ष 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- i) यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के-अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित-पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु व्यावसायिक कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत नियमानुसार दी जा रही।
- j) महाविद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से निम्न तालिका में सूचीबद्ध अधिकतम 15 वोकेशनल प्रशिक्षण का क्लस्टर संचालित करने की अनुमति होगी। यदि कोई महाविद्यालय 15 से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना चाहता है तो यथोचित कारणों के साथ संसाधनों की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए पृथक रूप से क्लस्टर संचालित करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा।

व्यवसायिक/कौशल विकास पाठ्यक्रम सूची			
1.	बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2.	फोटोग्राफी
3.	बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस	4.	वीडियोग्राफी
5.	रेशम कीट पालन	6.	खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा
7.	मधुमक्खी पालन	8.	यात्रा प्रबन्धन
9.	कुटीर उद्योग	10.	प्रिन्टिंग
11.	पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान	12.	प्रकाशन
13.	हस्तशिल्प	14.	नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन
15.	अचार एवं पापड़ निर्माण	16.	मृदा एवं जल संरक्षण
23.	योग एवं फिटनेस	24.	खाद्य प्रसंस्करण
25.	फर्नीचर विकास	26.	नर्सरी प्रबन्धन
27.	मत्स्य पालन	28.	पत्रकारिता एवं जन संचार
29.	फैशन डिजाइन	30.	इंटीरियर डिजाइन

17.	डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण	18.	सौर्य ऊर्जा	31.	हरितगृह तकनीक
19.	बागवानी	20.	पर्यटन प्रबन्धन	32.	कुक्कुट पालन
21.	बिजली उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	22.	आतिथ्य प्रबन्धन	33.	मूर्तिशिल्प

#### 15. प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया/ उपाधि पूर्ण करने की अवधि :

- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर **सर्टिफिकेट** के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर **डिप्लोमा** के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगारपरक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही **स्नातक** की उपाधि प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा; किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना एक वर्ष पूर्ण करने का सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूर्ण करने का डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।
- तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम छःवर्ष तक पुनः प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

#### 16. संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि:-

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए **क्रेडिट 46** संचित के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह पाठ्यक्रम- एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।
- द्वितीय वर्ष तक **क्रेडिट 92** संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह पाठ्यक्रम तथा दो- व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।
- तृतीय वर्ष तक **132 क्रेडिट** संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट- होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-के प्रावधानों के आलोक में उच्चशिक्षा विभाग-, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम ,बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है तथा उसका अनुमोदन विद्यापरिषद के द्वारा भी किया जा चुका है और सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

## 17. परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था-

- (a.) सत्र 2022-23 से बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०, पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन सेमेस्टर पद्धति से होंगी। सत्र 2021-22 में प्रवेशित विद्यार्थी भी सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित होंगे।
- (b.) सभी विषयों (लिखित/प्रायोगिक/परियोजना/मौखिक आदि) के प्रश्नपत्र **100 अंक** के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- (c.) सभी विषयों/प्रश्नपत्रों (लघु शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटरनशिप एवं मौखिकी को छोड़कर) की परीक्षाएं 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (ETE) (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी।

### सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation):

- (a.) सैद्धांतिक विषयों में प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के दौरान सतत आन्तरिक मूल्यांकन तीन अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आन्तरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि एक घण्टे की होगी।
- (b.) इन तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आन्तरिक मूल्यांकन लिखित/सेमिनार/असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी।
- (c.) प्रायोगिक विषयों में भी तीन अवसरों पर प्रायोगिक-1, प्रायोगिक-2 एवं प्रायोगिक-3 के रूप में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा; जिसकी प्रकृति पूर्णतया प्रायोगिक होगी।
- (d.) उदाहरणार्थ :

सतत आन्तरिक मूल्यांकन					
Continuous Internal Evolution (CIE) (सतत आन्तरिक मूल्यांकन)	TEST – 1	TEST – 2	TEST – 3	Best of Any Two Test (Test-1/Test-2 /Test-3)	TOTAL
Paper-1 (Theory/Practical)	6.00	7.00	5.00	6.00 + 7.00	13.00
Paper-2 (Theory/Practical)	4.00	8.00	6.50	8.00 + 6.50	14.50

- (e.) लघु शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटरनशिप एवं मौखिकी आदि में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा एवं इनकी परीक्षा सत्रान्त में विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त दो परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी।
- (f.) तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से दो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) में पाये गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- (g.) प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है अन्यथा उस प्रश्नपत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा अर्थात् विद्यार्थी को तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा नहीं तो वह बाह्य परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र में अनुपस्थित माना जाएगा।

- (h.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है।
- (i.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण एवं सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा।
- (j.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरान्त वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सम्बन्धित संस्था द्वारा कम से कम छः महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है।
- (k.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन के संदर्भ में सम्बंधित शिक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।
- (l.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को सम्बंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- (m.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

#### सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन (End Term Evaluation):

- (n.) बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) विश्वविद्यालय द्वारा सत्र (सेमेस्टर) के अंत में संपन्न कराई जाएगी।
- (o.) लिखित बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) 75 अंको की होगी।
- (p.) लिखित परीक्षा की कालावधि **2 घण्टे** एवं शब्द सीमा अधिकतम **2000** की होगी।
- (q.) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाये जायेंगे। जिसमें अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्नपत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जायेंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा :-

प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	शब्द सीमा
अति लघुउत्तरीय प्रश्न	03	03 X 03 = 09	50 शब्द
लघुउत्तरीय प्रश्न	04	04 X 09 = 36	200 शब्द
दीर्घउत्तरीय प्रश्न	02	02 X 15 = 30	500 शब्द
<b>कुल योग</b>	<b>09</b>	<b>75</b>	<b>अधिकतम 2000</b>

#### **प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन प्रणाली :**

- (a.) प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी 100 अंकों में होगा; जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार होंगे।
- (b.) इन 100 अंकों में 25 अंकों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन तथा 75 अंकों की सत्रान्त परीक्षा होगी।

- (c.) सत्रान्त में 75 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त संबंधित विषय के दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य शिक्षक) द्वारा किया जायेगा। यहाँ पर आन्तरिक शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा शिक्षक है जबकि बाह्य शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य न कर रहे शिक्षक से है। इस प्रकार बाह्य शिक्षक आपके महाविद्यालय से भी हो सकता है और आपके नजदीकी महाविद्यालय से भी हो सकता है। दोनों शिक्षक सम्बन्धित विषय का ही होना चाहिए।
- (d.) सत्रान्त में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान; महाविद्यालयों के प्राचार्य के माध्यम से परीक्षकों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त पारिश्रमिक बिल प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (e.) मूल्यांकन के उपरान्त प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना होगा।

#### **अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली :**

- (a.) सभी अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार (OMR Based) पर होगी। इसमें 100 बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे; जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र की समयाविधि 2 घंटे होगी
- (b.) सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा मात्र Qualifying प्रकार की होगी। इसमें सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा।

#### **व्यवसायिक तथा कौशल विकास के पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणाली :**

- (a.) व्यवसायिक तथा कौशल विकास के पाठ्यक्रमों में भी 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। प्रशिक्षण आधारित कार्यों का मूल्यांकन 60 अंकों का होगा तथा 40 अंकों के सैद्धान्तिक कार्यों की परीक्षा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के विभागों (यू.टी.डी.) द्वारा सत्रान्त में सम्पन्न कराई जाएगी।
- (b.) वोकेशनल पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित परीक्षा व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-
- b.1. सम्बन्धित सेमेस्टर के अन्त में महाविद्यालय/ यू.टी.डी. वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धान्तिक कार्य की परीक्षा पृथक-पृथक रूप से अपने स्तर पर सम्पन्न करेंगे।
  - b.2. प्रशिक्षण कार्य की परीक्षा के लिए महाविद्यालय/यू.टी.डी. आन्तरिक स्तर पर प्रशिक्षणकर्ता एवं सक्षम अध्यापक की संयुक्त टीम नियुक्त करेंगे। जिनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य का 60 अंकों के सापेक्ष मूल्यांकन किया जायेगा।
  - b.3. सैद्धान्तिक कार्य की परीक्षा के लिए महाविद्यालय/ यू.टी.डी. द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय परिसर में ही किया जायेगा।
  - b.4. सैद्धान्तिक कार्य के मूल्यांकन के उपरान्त उत्तर पुस्तकें विद्यार्थी को अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जाएँगी तथा अवलोकन के उपरान्त विद्यार्थी की सहमति हस्ताक्षर सहित ली जाएगी यदि विद्यार्थी को प्राप्त अंकों के प्रति कोई जिज्ञासा है तो प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा इसका अविलम्ब निदान किया जायेगा।
  - b.5. प्रश्न पत्र वर्णनात्मक प्रकार के होंगे तथा विद्यार्थी के सुविधा के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) होंगे।
  - b.6. मूल्यांकन के उपरान्त सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना होगा।

b.7. उपरोक्त परीक्षा कार्य से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखेंगे; आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा इनका परिक्षण किया जा सकता है।

b.8. यदि विद्यार्थी वोकेशनल पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण/बैक होता है, तो उस प्रश्न पत्र की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा अगले सम्बन्धित सेमेस्टर (सम/विषम जैसी भी स्थिति हो) में सम्पन्न करा होगी।

### लघु शोध परियोजना की परीक्षा प्रणाली :

(a.) तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना मात्र Qualifying प्रकार की होगी तथा इनका मूल्यांकन सत्रान्त में विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त दो आन्तरिक परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।

### प्रोन्नति :

(a.) विद्यार्थी कुल 60 प्रतिशत क्रेडिट तथा SGPA - 4 (ग्रेड-P) अर्जित करने के पश्चात ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60 प्रतिशत से कम क्रेडिट प्राप्तियों की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा।

### संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि :-

- विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट तथा CGPA - 4 (ग्रेड-P) अर्जित करेगा, उसी संकाय में उसको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

### बैक पेपर :

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में पुनः देने की स्थिति में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जा सकता है।
- विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम्बन्धित सम/विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।
- किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तिम दो सेमेस्टर्स की बैक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार एक विशिष्ट बैक परीक्षा का आयोजन कर सकता है जिससे सम्बन्धित सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम उसी सत्र में पूर्ण किया जा सके।
- वर्तमान सत्र से 2021-2022 में प्रवेशित विद्यार्थी भी सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित होंगे। अतः यदि इन विद्यार्थियों का किसी प्रश्नपत्र में बैक होता है तो वह सम्बन्धित प्रश्न पत्र का उसी सेमेस्टर में बैक परीक्षा देगा जिस सेमेस्टर में सम्बन्धित प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य होता है।

### क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली :-

- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। सैद्धांतिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा।

- मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न पत्र 4/5/6 क्रेडिट के हो सकते हैं, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 क्रेडिट के होंगे। सह-पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजना में कोई क्रेडिट नहीं होगा।
- सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों में 6 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 90 घण्टे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घण्टे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घण्टे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घण्टे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घण्टे की होगी। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में 2 क्रेडिट के प्रश्नपत्र की कक्षाएँ न्यूनतम 60 घण्टे की होगी।

सत्र	प्रश्नपत्र (क्रेडिट)	अध्यापन की न्यूनतम अवधि	
		सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	प्रायोगिक पाठ्यक्रम
वार्षिक/सेमेस्टर	6 क्रेडिट	90 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	5 क्रेडिट	75 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	4 क्रेडिट	60 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	3 क्रेडिट	45 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	2 क्रेडिट	30 घण्टे	60 घण्टे

- समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	10	Outstanding	91-100
A <sup>+</sup>	9	Excellent	81-90
A	8	Very good	71-80
B <sup>+</sup>	7	Good	61-70
B	6	Above Average	51-60
C	5	Average	41-50
P	4	Pass	33-40
F	0	Fail	0-32
AB	0	Absent	Absent
Q	-	Qualified	-
NQ	-	Not Qualified	-

- Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- छः सह-पाठ्यक्रम एवं तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying प्रकृति के हैं और इनका उत्तीर्णांक 40% होगा।
- वोकेशनल पाठ्यक्रमों का उत्तीर्णांक भी 40% होगा।

- स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी उत्तीर्णता प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सेमेस्टर 02 अंकों के कृपांक (Grace Marks) का प्रावधान किया जा सकता है। वोकेशनल पाठ्यक्रम में कृपांक का प्राविधान नहीं होगा।
- कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी किसी भी प्रकार का पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- **SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी :**

$SGPA (S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	<b>यहाँ पर :</b> $C_i$ = the number of credits of the $i$ th course in a semester $G_i$ = the grade point scored by the student in the $i$ th course.
$CGPA = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$	$S_i$ = $S_i$ is the SGPA of the $i$ th semester $C_i$ = the total number of credits in the $i$ th semester.

- **CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :**

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 10$$

- **विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :**

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

- **विद्यार्थी उपस्थिति :**

- स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रश्न पत्र के क्रम में निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रश्न पत्र के कुल निर्धारित व्याख्यानों/प्रायोगिक सेशन के सापेक्ष विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- परीक्षा आवेदन पत्रों के अग्रसारण/सत्यापन के समय महाविद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति उपस्थित होगी।

● **परीक्षा शुल्क :**

- NEP-2020 के प्राविधानों से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।
- यदि विद्यार्थी किसी प्रश्नपत्र में बैक होता है तो वह सम्बन्धित सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके बैक परीक्षा में भाग ले सकता है।
- यदि किसी विद्यार्थी का सेमेस्टर बैक होता है तो विद्यार्थी को पुनः सम्बन्धित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा; उसके लिए विद्यार्थी को पुनः शुल्क भी जमा करना होगा।

● **अन्य :**

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से यू.जी.सी./शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन (NPTL, SWAYAM, MOOCS) कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर इलेक्टिव विषयों (Subject Elective) पर ही लागू होगी।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- उपरोक्त समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
- उपरोक्त दिशानिर्देश के किसी बिन्दु पर संशय/विभ्रान्ति एवं विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

**कुल सचिव**

उत्तर प्रदेश शासन

**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

**50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

**60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 69- अनुसूचित जाति
- 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 72- अनारक्षित
- 73- अनुसूचित जाति
- 74- अनारक्षित
- 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 76- अनारक्षित
- 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 78- अनारक्षित
- 79- अनुसूचित जाति
- 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 82- अनारक्षित
- 83- अनुसूचित जाति
- 84- अनारक्षित
- 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 86- अनारक्षित
- 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 88- अनारक्षित
- 89- अनुसूचित जाति
- 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 92- अनारक्षित
- 93- अनुसूचित जाति
- 94- अनारक्षित
- 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 96- अनारक्षित
- 97- अनुसूचित जनजाति

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 98- अनारक्षित  
 99- अनुसूचित जाति  
 100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

**मुकुल सिंहल**  
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

**अरविन्द मोहन चित्रांशी**  
 विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।